न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री अनूप सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 193/2020
दायर दिनांक :– 16.09.2020

अनवान

1. श्री गोपाल पुत्र ताराचंद महाजन नि. देवली तह. देवली
2. श्री राधेश्याम पुत्र ताराचंद महाजन नि. देवली तह. देवली
3. श्री बनवारी पुत्र ताराचंद महाजन नि. देवली तह. देवली
4. श्री हरिराम पुत्र ताराचंद महाजन नि. देवली तह. देवली

प्रार्थीगण.........

बनाम

1. श्री हनुमान जी स्थान जरिए पुजारी निरंजनलाल पुत्र नन्दलाल ब्राहमण नि. देवली
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री महावीर सिंह राठौड, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश :: दिनांक 01.01.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी प. ह. उँचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 964 रकबा 01.14 बीघा कुल किता 1 रकबा 1.14 कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी से स्थित है। उक्त कृषि भूमि में काश्त करने के लिये आने जाने मे तथा फसल को लाने ले जाने के लिये यह मात्र रास्ता खसरा सं. 995 रकबा 0.09 बीधा में से आता जाता है जिसके खातेदार अप्रार्थी सं. 1 है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही पेरा नं. 2 में भूमि में बने हुए कदीमी रास्ते से आते जाते रहे है तथा काश्तकारी कार्य करते रहे है। अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि आज भी मौके पर काबिल काश्त नही है और रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग हो रहा है। जो प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का एक मात्र रास्ता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से कई बार पडौसी खातेदारों द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने मे परेशानी उठानी पडती है। जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

का प्रतिफल प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 964 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2020/ दिनांक 06.10.2020 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने खेत आ.न. 964 में आने जाने हेतु ख. न. 995 में से रास्ता चाहते है। लेकिन तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ख.न. 995 में से रास्ता चाहता है जबकि उक्त खसरा नं. गे. मु. आचा का है। जिसमें रास्ता दिया जाना सम्भव नही है। क्यो कि गे मु आचा में विभाजन नही किया जा सकता है। इसके समीप ही ख. न. 965 है जो भी प्रार्थी की खातेदार का ही है। और इस खसरा नंम्बर तक आवासीय कॉलोनी बसी हुई है। और उसमें से जो रास्ता निकल रहा है वह रास्ता प्रार्थी खातेदार के खसरा नं. 965 तक है। इस प्रकार प्रार्थी खातेदार का आवागमन हो सकता है। रिपोर्ट तहसीलदार जहाजपुर के अनुसार मौके पर रास्ता निकल रहा है। अतः नया रास्ता दर्ज किया जाना उचित नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner